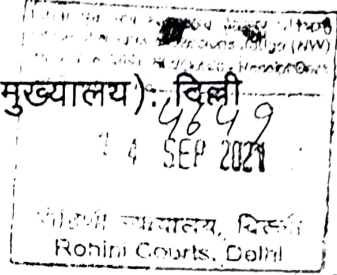


कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय), दिल्ली

संदेश

हिन्दी दिवस

14 सितम्बर, 2021



14 सितम्बर, 2021 "हिन्दी दिवस" के पावन अवसर पर जिला न्यायालय दिल्ली के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को हार्दिक शुभकामनाएँ।

राजभाषा हिन्दी हमारी मातृभाषा होने के साथ-साथ भारत की स्वतंत्र अस्मिता और संस्कृति की प्रतीक भी है। समाज में चेतना जागरण का माध्यम अपनी संस्कृति का ज्ञान हिन्दी भाषा के माध्यम से ही दिया जा सकता है, इस संदर्भ में प्रतिवर्ष 14 सितम्बर को मनाये जाने वाले हिंदी दिवस का विशेष महत्व है। आजादी के बाद से हिन्दी भाषा राष्ट्रीय पहचान और एकता की मजबूत कड़ी के रूप में विशेष भूमिका निभाती आ रही है। हमारी मातृभाषा और राजभाषा के रूप में हिन्दी हमारी पहचान है।

राजभाषा हिन्दी के अपेक्षित प्रयोग के संबंध में किए गए संवैधानिक प्रावधानों और इस हेतु बनाए गए अधिनियमों, नियमों और समय-समय पर कार्यालय में जारी किए गए आदेशों का अनुपालन करते हुए हमें सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग करने के प्रति समर्पित रहना चाहिए।

यह हर्ष का विषय है कि विगत वर्षों में जिला न्यायालय, दिल्ली के कामकाज में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग उद्बेखनीय रूप से बढ़ा है।

आइए, हिन्दी दिवस 2021 के इस पावन अवसर पर हम राजभाषा और जनभाषा, दोनों रूपों में, हिंदी के विकास और प्रयोग के प्रति अपने आपको समर्पित करें और अपने दैनिक सरकारी कामकाज में अधिक से अधिक हिन्दी का प्रयोग करें।


13.9.21

गिरीश कठपालिया

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय)

दिल्ली

21/09/21

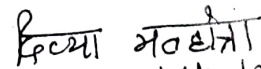
27788-27854

संख्या : हिन्दी(उ.)/रोहिणी/2021

दिल्ली, दिनांक 17/09/21

सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु उपरोक्त परिपत्र की प्रति निम्न को प्रेषित की जाती है:-

1. समस्त न्यायिक अधिकारी, उत्तरी जिला, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली।
2. समस्त वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) व अनुभागों के अनुभाग प्रमुख, उत्तरी जिला, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली।
3. प्राप्ति एवं निर्गम शाखा, लेयर्स पर अपलोड करने हेतु।
4. अभिलेख अधिकारी, उत्तरी जिला, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली।
5. निजी सचिव, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तरी जिला, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली।
6. संबंधित कर्मचारी, वेबसाइट/लेयर्स इस निर्देश के साथ कि इसे वेबसाइट/लेयर्स पर अपलोड करें।


17/09/21

महानगर दण्डाधिकारी/नोडल अधिकारी

(हिन्दी विभाग)

उत्तरी जिला, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली।